सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 158 राँची ,गुरुवार

21 फाल्गुन 1936 (श०)

12 मार्च, 2015 (ई०)

परिवहन विभाग

।। संकल्प ।।

9 मार्च, 2015

विषय:-- माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Contempt Petition No. 431/2013 in Civil Appeal No.7290/94 **Swaminath Ray vrs. R.S. Sharma & Others ,0 Contempt Petition (Civil) No. 411/2013 in W.P.(Civil) No.337/2011** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2011 को पारित आदेश के आलोक में राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मियों के समायोजन की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या- परि0वि0(विविध)-10/2015./273.-- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वार बिहार पुर्नगठन अधिनियम की धारा 62(3) के उपबंधों के अध्याधीन अधिसूचना संख्या-1127 दिनांक 30 जून, 2003 एवं अधिसूचना संख्या-54 दिनांक 14 जनवरी, 2004 द्वारा दिनांक 30 जून, 2004 के प्रभाव से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के विघटन एवं दोनों राज्यों के बीच आस्तियों

एवं दायित्वों के बँटवारा संबंधी शत्र्तों एवं प्रावधानों को इंगित किया गया है । इसी प्रसंग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) श्री सगीर अहमद की अध्यक्षता में गठित विवाचक समिति के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जो उभय पक्षों को मान्य था। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका संख्या-7290/94 (सिविल अपील संख्या) में पारित आदेश दिनांक 12 अगस्त, 2008 में विवाचक समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए उसमें सन्निहित अनुशंसाओं को यथाशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया । माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार में दायर Writ Petition Civil No. 337/2001 B.S.R.T.C RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal No. 7290/1994 में दिनांक 24 अगस्त, 2011 को पारित न्यायादेश में अंकित है कि In paragraph 9 of the report, it averred as under "9. It is stated and submitted that all the employees have been getting regular salaries and up (Sic) February, 2011, there is not (Sic) due"

"We read the aforesaid paragraphs to mean that all the employees of the Corporation, who were allocated to the State of Jharkhand, have been duly absorbed in the service of the State Government there".

इस निर्णयादेश के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मोडिफिकेशन एप्लीकेशन I.A. No. 32/2012 राज्य सरकार की ओर से दायर किया गया। इसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05 अक्टूबर, 2012 को पारित आदेश से निरस्त कर दिया गया है । इसी क्रम में दिनांक 24 अगस्त, 2011 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण Jharkhand State Road Transport. Employees Association द्वारा अवमाननावाद सं0-203/2012 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया है, जो सम्प्रति विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Contempt Petition (Civil) No. 411/2013 in W.P.(Civil) No.337/2011 e में दिनांक 03 जुलाई, 2014 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है- "Mr. Sunil Kumar, Learned Senior Counsel for the Respondents submits that the grievances regarding absorption of the petitioners shall be positively redressed within two month from today and no extension of time shall be sought. We accept his statement.

On issuance of absorption orders, the personal appearance of the contemnors shall stand exempted until further orders."

2. तदनुसार राज्य पथ परिवहन निगम के विभाजनोपरान्त झारखण्ड राज्य में दिनांक 24 अगस्त, 2011 को 791 कर्मी कार्यरत थे। परिवहन विभाग के संकल्प संख्या-598 दिनांक 06 जून, 2013 में 609 कर्मियों

की नियुक्ति (समायोजन) हेतु सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नीतिगत निर्णय लेते हुए 340 कर्मियों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों में परिवहन विभाग के कार्यालय आदेश द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 से समायोजित किया गया । पुनः 29 अगस्त, 2014 एवं 01 सितम्बर, 2014 द्वारा कुल 203 कर्मियों का समायोजन किया गया। इस प्रकार कुल 543 कर्मियों की नियुक्ति (समायेाजन) राज्य सरकार की सेवा में किया जा चुका है। शेष 248 सेवानिवृत/मृत कर्मियों को दिनांक 24 अगस्त, 2011 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में संकल्प संख्या-132 दिनांक 14 फरवरी, 2015, गजट संख्या-94 दिनांक 18 फरवरी, 2015, कार्यालय आदेश संख्या-16 दिनांक 14 फरवरी, 2015 के द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2011 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है ।

3. परिवहन विभाग के संकल्प संख्या-598 दिनांक 06 जून, 2013, गजट संख्या-362 दिनांक 07 जून, 2013 द्वारा राज्य पथ परिवहन निगम के कुल 340 कर्मियों के समायोजन की स्वीकृति प्रदान की गई। किन्तु इनके समायोजन हेतु निर्गत कार्यालय आदेश संख्या-127-133 दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 में इन कर्मियो को नियुक्ति (समायोजन) करने का आदेश निर्गत किया गया है। परिवहन विभाग के संकल्प संख्या-714 दिनांक 27 अगस्त, 2014, गजट संख्या-406 दिनांक 28 अगस्त, 2014 के द्वारा कुल 204 कर्मियों के नियुक्ति (समायोजन) की स्वीकृति निर्धारित विहित शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण एवं निर्धारित उम्र को शिथिल करते हुए की गई है। उपरोक्त 204 कर्मियों में से 1 कर्मी के सेवानिवृत हो जाने के कारण उनके नियुक्ति (समायोजन) का आदेश निर्गत नहीं किया गया। परिवहन विभाग के संकल्प संख्या-132 दिनांक 14 फरवरी, 2015 गजट संख्या-94 दिनांक 18 फरवरी,2015 के द्वारा कुल 248 कर्मियों को 24 अगस्त, 2011 के प्रभाव से राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति (समायोजन) की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार राज्य पथ परिवहन निगम के कुल 340$203$248 = 791 कर्मियों का नियुक्ति (समायोजन) किया गया है ।

4. परिवहन विभाग के संलेख ज्ञापांक-213 दिनांक 26 फरवरी, 2015 में सन्निहित प्रस्ताव पर दिनांक-03 मार्च, 2015 को मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्य पथ परिवहन निगम के उपर्युक्त कर्मियों के संबंध में निम्नांकित रूप से स्वीकृति प्रदान की गई है:-

" माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय में सन्निहित निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। चूँकि यह मामला समायोजन का है, न कि नई नियुक्ति का, अतः संबंधित कर्मियों को सेवा में समायोजित करते हुए अनुमान्य वेतनादि एवं अन्य लाभों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय । "

5. अतः राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मियों के नियुक्ति (समायोजन) हेतु निर्गत उपर्युक्त संकल्पों एवं उक्त संकल्पों के आलोक में निर्गत तत्संबंधी कार्यालय आदेशों में निर्गत नियुक्ति संबंधी शब्द को विलोपित करने का निर्णय लिया जाता है। उपर्युक्त सभी कर्मी सेवा में समायोजित समझे जाएगें तथा इनके अनुमान्य वेतनादि अन्य लाभों का भुगतान किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रतन कुमार,

सचिव,

परिवहन विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 158—50 ।